रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

उर्वरक विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	बजट 2008-2009 आयोजना-भिन्न	बजट 2008-2009 जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	संशोधित 2008-2009 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2008-2009 जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़
राजस्व		154.00	30999.96	31153.96	4.01	75864.96	75868.97	4.00	49999.96	50003.96
पूंजी		*46.00*	*0.04*	*46.04*	*46.00*	*0.04*	*46.04*	*196.00*	*0.04*	*196.04*
जोड़		**200.00**	**31000.00**	**31200.00**	**50.01**	**75865.00**	**75915.01**	**200.00**	**50000.00**	**50200.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	12.17	12.17	...	14.43	14.43	...	17.22	17.22
फसल कार्य										
2. आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी	2401	...	7238.89	7238.89	...	10981.28	10981.28	...	7800.00	7800.00
3. विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी										
3.01 विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान	2401	...	10847.10	10847.10	...	65351.10	65351.10	...	33600.00	33600.00
3.02 घटाइएः उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8012	...	...	...	...	-17000.00	-17000.00	...	...	...
	निवल	...	10847.10	10847.10	...	48351.10	48351.10	...	33600.00	33600.00
4. उर्वरक उद्योग										
4.01 स्वदेशी उर्वरकों पर सब्सिडी	2852	...	12900.37	12900.37	...	19516.37	19516.37	...	8580.25	8580.25
4.02 घटाइएः उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8012	...	...	...	...	-3000.00	-3000.00	...	...	...
	निवल	...	12900.37	12900.37	...	16516.37	16516.37	...	8580.25	8580.25
5. उर्वरक विकास एस एंड टी कार्यक्रम के लिए अन्य अनुसंधान योजना	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
6.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.03 पाईराइटस, फॉस्फोरस एण्ड केमिकल्स लि.	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.04 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*0.04*	*0.04*	*...*	*0.04*	*0.04*	*...*	*0.04*	*0.04*
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	6552	19.99	...	19.99	19.99	...	19.99	64.99	...	64.99
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	6855	26.01	...	26.01	26.01	...	26.01	131.00	...	131.00
9. विदेशों में संयुक्त उपक्रम के लिए निवेश	4855	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
10. अन्य कार्यक्रम										
10.01 एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई तथा पीडीआईएल पर भारत सरकार ऋण के बकाया ऋण, ब्याज तथा दण्ड ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
10.02 अन्य कार्यक्रम	2852	2.00	1.41	3.41	2.00	1.76	3.76	2.00	2.47	4.47
10.03 4 मौजूदा एफओ/एलएसएचएस संयंत्रों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने हेतु पूंजी सब्सिडी	2852	150.00	...	150.00	0.01	...	0.01	...	...	...
10.04 पीपीएल की समापन पश्च समायोजन देयताएँ	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*152.00*	*1.43*	*153.43*	*2.01*	*1.78*	*3.79*	*2.00*	*2.49*	*4.49*
कुल जोड़		***200.00***	***31000.00***	***31200.00***	***50.01***	***75865.00***	***75915.01***	***200.00***	***50000.00***	***50200.00***

	विकास शीर्ष	बजट 2008-2009 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	संशोधित 2008-2009 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट 2009-2010 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
8.01 फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	12855	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	34.00	...	34.00
8.02 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	...	154.25	154.25	...	48.05	48.05	...	550.15	550.15
8.03 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	12855	...	4.85	4.85	...	4.65	4.65	...	5.35	5.35
8.04 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	12855	...	812.43	812.43	...	469.06	469.06	...	988.05	988.05
8.05 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	12.97	...	12.97	13.00	...	13.00	96.99	...	96.99
8.06 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	12855	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	65.00	...	65.00
8.07 कृषक भारती कॉपरेटिव लिमिटेड	12855	...	685.00	685.00	...	105.00	105.00	...	497.00	497.00
8.08 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (फैगमिल)	12855	...	22.40	22.40	...	22.40	22.40	...	29.01	29.01
8.09 भारतीय उर्वरक लि.	12855	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
8.10 हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कारपोरेशन लि.	12855	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
8.11 पाइराट्स, फोस्फेट्स एंड केमिकल लि.	12855	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़		**46.00**	**1678.93**	**1724.93**	**46.00**	**649.16**	**695.16**	**195.99**	**2069.56**	**2265.55**
ग. आयोजना परिव्यय :										
1. उर्वरक उद्योग	12855	180.01	1678.93	1858.94	30.02	649.16	679.18	135.01	2069.56	2204.57
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	19.99	...	19.99	19.99	...	19.99	64.99	...	64.99
जोड़		**200.00**	**1678.93**	**1878.93**	**50.01**	**649.16**	**699.17**	**200.00**	**2069.56**	**2269.56**

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. चूंकि स्वदेशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था की जाती है। इसमें शामिल लागत व्यापक रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों की हैण्डलिंग और वितरण की लागत होती है। किसानों के लिए आयातित उर्वरकों का बिक्री मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियंत्रित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती हैं। बिक्री मूल्य स्वदेशी उत्पादन के बिक्री मूल्य के समान ही है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त राशि तथा सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर उर्वरकों के आयात पर राजसहायता को प्रदर्शित करता है।

3. यह प्रावधान किसानों को रियायत पर नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री की योजना के अंतर्गत उत्पादकों/एजेंसियों को भुगतान करने से संबंधित है। रियायत से बेहतर मृदा उर्वरता और उत्पादकता के लिए उर्वरक (एनपीके) पोषक-तत्वों का संतुलित प्रयोग होगा।

4. यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन के लिए भाड़ा राजसहायता सहित उर्वरक प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत राजसहायता से संबंधित है। राजसहायता योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है तथा उर्वरक के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना है। उर्वरकों को जारी मूल्यों पर बेचा जाता है जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

5. यह प्रवधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उर्वरकों को उत्पादन के लिए अनिवार्य जानकारी के विकास के लिए है।

6. एचएफसी, एफसीआई, पीडीआईएल, पीपीसीएल और बीवीएफसीएल को गैर-योजना ऋणों के प्रावधान का उद्देश्य कंपनियों को संसाधनों में कमी को पूरा करने में सक्षम बनाना है। एफसीआई और एचएफसी रुग्ण कंपनियां हैं जिन्हें एसआईसीए के अंतर्गत बीआईएफआर को संदर्भित किया गया है। पीपीसीएल ने अपने सभी कार्यकलापों को बंद कर दिया है और कंपनी परिसमापन के अधीन है।

7. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** इन उद्यमों और आईईबीआर में बजट सहायता का साम्या और ऋण-वार ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-I में किया गया है।

8.01. **फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)** नाइट्रोजनयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाईऑक्साइड, आदि के उत्पादन में संलग्न है। कंपनी की तीन प्रचालन इकाइयाँ हैं- एक उद्योगमंडल में और अन्य दों इकाइयां कोचीन में हैं। सभी तीनों इकाइयों की स्थापित क्षमता 3.26 लाख टन नाइट्रोजन और 1.27 लाख टन पी2ओ5 तथा 0.50 लाख टन कैप्रोलेक्टम है।

8.02. **नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)** की पॉच इकाइयॉ नामतः नांगल-I और नांगल-II, भटिण्डा, पानीपत और विजयपुर हैं जिनकी प्रतिवर्ष 14.88 लाख टन नाइट्रोजन की संस्थापित क्षमता है।

कम्पनी ने भटिंडा, पानीपत और नांगल स्थित नांगल आधुनिकीकरण संयंत्र चरण-I के उर्वरक संयंत्रों के केप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रारम्भ किया है। 1071.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 7.26 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु गुना, मध्य प्रदेश स्थित विजयनगर विस्तार परियोजना वर्ष 1997 में प्रारम्भ की गयी थी।

8.03 **प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)** की डिजाइन इंजीनियरिंग और परामर्शी सेवा इकाई है, जो एक अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा उर्वरकों के क्षेत्र में उपकरणों और पोतों की फैब्रिकेशन कार्यशाला है। यह उर्वरक कंपनियों की डिजाइन इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रापण, पर्यवेक्षण, निर्माण और स्थापना आदि में सहायता कर रहा है। कंपनी उर्वरक उद्योग के लिए उत्प्रेरकों के निर्माण में संलग्न है।

8.04 **राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)** नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों तथा कुछ औद्योगिक उत्पादों जैसे मेथनॉल और अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में संलग्न है। वर्तमान में, कंपनी की चार प्रचालन इकाइयां अर्थात् ट्राम्बे, ट्रॉम्बे-IV, ट्राम्बे-ज हैं तथा इनकी कुल स्थापित क्षमता 9.55 लाख टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख टन पी2ओ5 तथा 0.45 लाख टन के20 है।

8.05 **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)** एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी थी जिसमें भारत सरकार, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी तथा अमेरिका में निगमित अमोको इंडिया की भागीदारी थी। इस अमोको इंडिया के शेयरों को भारत सरकार और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी द्वारा आंशिक रूप से खरीद लिया गया है। कंपनी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रही है।

8.06 **ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड** - एचएफसी की प्रचालन इकाइयों अर्थात नामरूप-I, नामरूप-II और नामरूप-III को पृथक

करके एक नई कंपनी ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड बनाई गई है। जिसकी उत्पादन क्षमता 5.5 लाख मी.टन यूरिया प्रतिवर्ष है।

8.07 **कृषक भारती कोऑपरेटिव लि0 (कृभको)** - कृभको द्वारा गुजरात में हजीरा में सरकारी क्षेत्र में एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया परिसर की स्थापना की गई है। प्राकृतिक गैस के आधार पर परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख टन नाइट्रोजन है।

8.08 **फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (फैगमिल)** एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के जोधपुर खनन संगठन (जेएमओ) से पृथक होने के बाद 14.2.2003 को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित होने तथा एफसीआई और फैगमिल के बीच के विलय समाप्त करने के अनुमोदन के बाद 1.4.2003 से अस्तित्व में आई थी जिसके लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन (बीआईएफआर) ने अपने दिनांक 17.5.2004 द्वारा आदेश दिया था।

8.09 यह प्रावधान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए है।

8.10 यह प्रावधान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए है।

8.11 यह प्रावधान पाइराइट्स, फॉस्फ्टस एंड केमिकल्स लिमिटेड के लिए है।

9. यह प्रावधान संयुक्त उपक्रम (जेवी) के लिए निवेश है।

10. इसमें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय के लिए गैर-योजना प्रावधान शामिल है। यह उर्वरक विभाग का संबद्ध कार्यालय है जो प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान देता है तथा एचएफसी, एफसीआई, पीडीआईएल, एमएफएल और फैक्ट से देय भारत सरकार के ऋण, ब्याज और दण्डात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालता है।